

Application ID
(केवल बेसिक शिक्षा विभाग हेतु)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (C) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए आवेदन

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद

PHOTO
(बच्चे की फोटो)

1. बच्चे का पूरा नाम

2. किसी एक को चिन्हित करे बालक बालिका

3. जन्मतिथि (dd/mm/yyyy)

4. पिता का नाम

5. माता का नाम

6. अभिभावक का नाम

7. वर्तमान पता

8. ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम (घर के पते अनुसार लिखे)

9. माता-पिता / अभिभावक का मो० नं०

10. बच्चे के जन्म तिथि के आधार पर जिस कक्षा में प्रवेश (एडमिशन) करवाना चाहते हैं, चिन्हित करे:

नर्सरी

कक्षा 01

11. विद्यालयों के नाम एवं पता प्राथमिकता (Preference order) के हिसाब से :-

निर्देश - आप अपने वार्ड/ग्राम पंचायत के स्कूलों को ही अंकित करें ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में आस-पड़ोस की परिभाषा ग्राम पंचायत है एवं शहरी क्षेत्रों में ये वार्ड है ।
- यदि आप एक से अधिक प्राइवेट स्कूलों के नाम देना चाहते हैं तो फॉर्म में सारे स्कूलों के नाम प्राथमिकता के हिसाब से भरे । उदाहरण के लिए 1) पहली प्राथमिकता का विद्यालय 2) दूसरी प्राथमिकता का विद्यालय 3) तीसरी प्राथमिकता का विद्यालय आदि ।

प्राथमिकता	विद्यालय का नाम	विद्यालय का पता
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		

8)		
9)		
10)		

12. वर्तमान पते के प्रमाण हेतु अभिभावक द्वारा जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न कर उसे चिन्हित करें - (कोई एक)

1) मतदाता परिचय पत्र	<input type="checkbox"/>	4) भू अधिकार पत्रिका / ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड	<input type="checkbox"/>
2) राशन कार्ड / आधार कार्ड	<input type="checkbox"/>	5) अन्य कोई राजकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक / अभिभावक के निवास का पता अंकित हो ।	<input type="checkbox"/>
3) पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / विद्युत् बिल	<input type="checkbox"/>		

13. जमा करने वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न कर उसे चिन्हित करें - (कोई एक)

अलाभित समूह		दुर्बल वर्ग	
1) अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग)	<input type="checkbox"/>	1) अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (वार्षिक 1 लाख से कम)	<input type="checkbox"/>
2) अभिभावक का कैंसर / एच. आई. वी. के चिकित्सीय प्रमाण पत्र	<input type="checkbox"/>	2) अभिभावक का विकलांगता / वृद्धावस्था / विधवा पेंशन की बैंक पासबुक कॉपी	<input type="checkbox"/>
3) बच्चे का निःशक्तता / निराश्रित / तृतीय लिंग प्रमाण पत्र	<input type="checkbox"/>	3) अभिभावक का बी. पी. एल. कार्ड	<input type="checkbox"/>

14. बच्चे की आय के प्रमाण हेतु दस्तावेज की फोटोप्रति संलग्न चिन्हित करें - (कोई एक)

1) अस्पताल या सहायक नर्स एवं एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख	<input type="checkbox"/>	3) आगनबाड़ी का अभिलेख	<input type="checkbox"/>
2) जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी / नगर निगम से प्रमाण पत्र	<input type="checkbox"/>	4) अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र / एफिडेविट के माध्यम से घोषणा	<input type="checkbox"/>

स्वघोषणा प्रमाण पत्र

एतद द्वारा घोषणा की जाती है उपर्युक्त सभी प्रविष्टियाँ व संलग्न प्रमाण-पत्र सत्य है । कोई भी त्रुटि पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाए ।

दिनांक

माता-पिता / अभिभावक का
हस्ताक्षर अथवा अंगूठे
निशान

RTE Admissio

संलग्न दस्तावेजों की 2 फोटोकॉपी साथ में अवश्य लेकर आएँ ।